राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 18/2026

दायरा तिथि : 11-3-26

निर्णय :- 22-4-26

लक्ष्मणराम बनाम राजस्थान सरकार आदि

वाद–पत्र अंतर्गत धारा 136, 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रिकॉर्ड संशोधन एवं दुरुस्तिकरण

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने उक्त धारा के तहत एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ढाणी स्वामीयान, पटवार हल्का घंटियाल बड़ी भू० अभि० नि० दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित एक खेत खाता सं० नया 62 व खाता सं० पुराना 57 खसरा नम्बर 101 तादादी 12.2037 हेक्टेयर व खसरा संख्या 79 तादादी 0.3794 हेक्टेयर कुल दो किता खसरान कुल तादादी 12.5831 हेक्टेयर स्थित जो वादी के संयुक्त खातेदारी का है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज है उक्त खेत खसरान की भूमि की जमाबंदी में वादी का नाम लक्ष्मणराम के स्थान पर लिछुराम अंकित है जबकि वादी के आधार कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में उसका नाम लक्ष्मणराम ही अंकित है, जिसकी वजह से वादी को काफी कानूनी पेचेदिगियो का सामना करना पडा है और वादी को आधार कार्ड व पेन कार्ड से भिन्न अपना नाम जमाबन्दी में अंकित होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ भी नही मिल रहा है इसलिये वादी के लिये उपरोक्त जमाबन्दी में अपने नाम सही करवाना अति आवश्यक हो गया है। राजस्व जमाबन्दी में वादी का नाम लिछुराम के स्थान पर लक्ष्मणराम अंकित करवाया जावे। जो सही है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में सही किया जावे आदि–आदि वाद पेश किया। वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण 1 ता 7 को जरिए नोटिस तलब किया गया।

पैरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर वादी अपना नाम शुद्ध करवाये तो हमें आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 की ओर से इकबाल जवाब पेश किया जाकर वादी का नाम संशोधित करवाया जाना उचित बताया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपना आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जिन सभी में वादी का नाम लक्ष्मणराम अंकित है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत जमाबन्दी ग्राम ढाणी स्वामीयान, पटवार हल्का घंटियाल बड़ी भू० अभि० नि० दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित एक खेत खाता सं० नया 62 व खाता सं० पुराना 57 खसरा नम्बर 101 तादादी 12.2037 हैक्टेयर व खसरा संख्या 79 तादादी 0.3794 हेक्टेयर कुल दो किता खसरान कुल तादादी 12.5831 हेक्टेयर में अंकित लिछुराम के स्थान पर लक्षमणराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं, तहसीलदार बीदासर को प्रतिलिपि पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)